सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 70 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :–23.05.2024

GCMS ID–2024 / 88

बउनवान

1. सुवालाल गुर्जर आ. कजोड जाति गुर्जर निवासी अणतगंज तहसील हिण्डोली।
2. गंगाराम गुर्जर आ. जयलाल जाति गुर्जर निवासी अणतगंज तह0 हिण्डोली राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकिशन आ0 लोडक्या जाति गुर्जर निवासी अणतगंज तहसील हिण्डाली जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर

वकील अप्रार्थी :– एक पक्षीय कार्यवाही।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

निर्णय दिनांक :– 30 / 01 / 2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी कम संख्या 1 का एक बाडा वाके ग्राम अणतगंज में भूमि खसरा संख्या 103 में स्थित है, जिस पर प्रार्थी कम संख्या 1 का लगभग 40 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है एवं काबिज चला आ रहा है। तथा वर्तमान में भी उक्त बाडे मे काबिज होकर अपनी गाये, भैसे को बांधता आ रहा है। तथा वर्तमान में भी उक्त बाडे में चारा रखता आ रहा है। तथा इसी के सहारे खसरा संख्या 103 के 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी संख्या 2 का मकान बना हुआ है, जो लगभग 50–60 वर्ष पुराना है, तथा इसी खसरा संख्या 103 के 5 बिस्वा भू–भाग पर प्रार्थी संख्या 2 जब से निवास कर रहा है, तब से गोबर की रेवडी डालता आ रहा रहे है तथा उपयोग, उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त जगह ख.स. 103 का ही भाग है। प्रार्थी संख्या 2 ने अपने कब्जे की भूमि पर जहा गोबर की रेवडी डाल रखी है, के पूर्व की ओर 40 वर्ष पुरानी कच्चे पत्थरो की दीवार कर रखी थी, जो वर्तमान में नीचे

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

गर गई है। तथा पत्थरो के अवशेष आज भी मोजूद है। तथा अप्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। तथा नहीं वर्तमान में कब्जा है तथा इसी के पश्चिम दिशा मे शमशान भूमि का रास्ता बना हुआ है, जो लगभग 150 वर्ष पुराना है, जहा से सम्पूर्ण गांव के लोग आते जाते है तथा कई काश्तकार उक्त रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे है। वर्तमान में अप्रार्थी के पास संख्या 413/103 में से मात्र 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा है। प्रार्थी संख्या 1 ने अपने कब्जे शुदा बाडा के चारो ओर काटो की बाड कर रखी है तथा बाडे पर गाय व भेसे को बांधता चला आ रहा है तथा सम्पूर्ण मवेशियो का चारा भी वही पर रखता आ रहा है। इसी तरह प्रार्थी संख्या 2 ने भी अपने कब्जे की भूमि के चारो ओर कांटो की बाड कर रखी है तथा वर्तमान मे गोबर की रेवडी डालता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत कर अप्रार्थी संख्या 1 का जिस भूमि पर कब्जा नहीं था, उस पर पटवारी हल्का से मिली भगत कर जबरदस्ती प्रार्थीगण के कब्जे की भूमियो पर राजस्व रिकार्ड मे तरमीम कर दी गई है, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को हुई तो प्रार्थीगण मौके पर गये और वहा पर मोजूद तत्कालीन पटवारी से कहा कि आप हमारे कब्जे की भूमियो पर तरमीम क्यो कर रहे हो तो पटवारी ने प्रार्थी संख्या 2 को धमकी दी गई की हमारे को आगे से आदेश है, तुम मना करने वाले कोन होते है, यदि तुमने मेरे तरमीम करने में कोई बाधा डाली तो मैं तुम्हे जेल भिजवा दूंगा, प्रार्थी की कोई नही सुनी और जबरदस्ती प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि पर जबरन बिना कब्जे की भूमि पर तरमीम कर दी गई तथा प्रार्थी से कहा कि मेने आपकी जगह पर कोई तरमीम नही की है। तरमीम का मुख्य आधार ही कब्जा होता है, जहा तक खातेदार का कब्जा हो वही पर तरमीम की जाता है, जबकि प्रार्थीगण के कब्जे की भूमियो के चारो और कांटो की बाड हो रही है, जिस पर अप्रार्थी कान तो पूर्व मे कब्जा रहा है और नही वर्तमान में कब्जा है, उसके बावजुद भी अप्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत कर जानबुझकर प्रार्थीगण के कब्जे की भूमियो पर तरमीम कर दी गई है, जो निरस्त करने योग्य है। राजस्व कर्मचारियो ने तरमीम करने से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और सुनवाई का असवर दिये बिना प्रार्थीगण के कब्जे के स्थान पर अप्रार्थी की भूमि की तरमीम कर दी गई है, जो खारिज होने योग्य है। पुख्ता तरमीम करने से पूर्व हल्का पटवारी द्वारा मौका देखकर कब्जे के अनुरूप नक्शे मे पेसिंप से कच्ची तरमीम की जाती है. उसके पश्चात् कानूनगो द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार कर अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को भेजी जाती है, तब सम्पूर्ण जांच को देखते हुये सक्षम अधिकारी द्वारा तरमीम के आदेश दिये जाते जबकि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना तरमीम की गई जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण के कब्जे

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

की भूमि पर जबरन की गई तरमीम को निरस्त करने के लिये प्रार्थीगण ने दिनांक 3.4.2024 को तहसीलदार हिण्डोली के यहा तरमीम को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन तहसीलदार साहब हिण्डोली द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की और न्यायालय के आदेश के बिना तरमीम नरस्त करने से इन्कार कर दिया है, यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त तरमीम को निरस्त करने का अधिकार है। प्रार्थीगण की कब्जे की भूमियो वाके ग्राम अणतगंज मे विस्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के कब्जे का बाडा व रोडी की जगह व शमशान भूमि के रास्ते पर की गई तरमीम को निरस्त किया जावे एवं कब्जे के अनुरूप तरमीम करने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामिलों के अनुपस्थिति रहने से उसके विरूद्ध दिनांक 20.12.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय नायब तहसीलदार, दबलाना से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :–राजस्व/25/1615 दिनांक 29.09.2025 अनुसार खसरा संख्या 413/103 ग्राम अणदगंज रामकिशन पुत्र लोडक्या गुर्जर की खातेदारी में अंकित है। ग्राम अणदगंज के खसरा संख्या 413/103 व मूल खसरा संख्या 103 के किसी भी बटा नम्बर पर प्रार्थी खातेदार दर्ज नहीं है। नक्शे में की हुई तरमीम व मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। जो कि प्रार्थना पत्र के अनुसार रही है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 413/103 ग्राम अणदगंज की हो रही तरमीम की दुरूस्ती बाबत पेश किया है। मुताबिक रिपोर्ट नायब तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

नम्बर पर प्रार्थीगण खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार नहीं होने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण खातेदार नहीं होने से उनको किसी अन्य की खातेदारी भूमि की तरमीम दुरूस्त करवाने के कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होने से प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 30.01.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/01/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446